प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

13th अगस्त, 2026

हरित भारत मिशन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

हरित भारत मिशन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का निष्पादन लेखा परीक्षा 2026 की प्रतिवेदन संख्या 4 (केंद्र सरकार: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) संसद में कल पेश की गई।

हरित भारत मिशन पर निष्पादन लेखा परीक्षा में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हरित भारत मिशन के अंतर्गत हस्तक्षेपों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी का परीक्षण किया गया। इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य स्वीकृत किए गए थे। मिशन के व्यापक उद्देश्यों में वन/वृक्ष आच्छादन में वृद्धि करना, वन एवं गैर-वन भूमि की गुणवत्ता में सुधार करना, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (जिसमें जैव विविधता, जल संबंधी सेवाएं और कार्बन पृथक्करण शामिल हैं) को बेहतर बनाना, तथा वन भूमि/गैर-वन भूमि के कारण मिलने वाले लाभों को बढ़ाना और वनों के भीतर तथा आसपास रहने वाले परिवारों की वन-आधारित आजीविका आय में वृद्धि करना शामिल था।

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हरित भारत मिशन की कार्यान्वयन रणनीति का एक प्रमुख तत्व 'समन्वय (कन्वर्जेन्स)' था, जिसकी अनुपस्थिति सभी संस्थागत स्तरों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दी। हरित भारत मिशन की गतिविधियों का कैम्पा, मानरेगा तथा अन्य केंद्रीय या राज्य स्तरीय वनीकरण पहलों के साथ प्रभावी समन्वय नहीं था। इस समन्वय की कमी के साथ-साथ नगर वन योजना और स्कूल नर्सरी योजना जैसी योजनाओं का अलग-अलग संचालन तथा समेकित वार्षिक कार्य योजनाओं की प्राप्ति न होना, संभावित समन्वित (सिनर्जी) परिणामों को प्रभावित करता रहा। इसके अलावा, परिकल्पित बॉटम-अप दृष्टिकोण का पालन न तो क्षेत्र चयन में किया गया और न ही भौतिक लक्ष्यों के निर्धारण में, जिससे मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी। यद्यपि संवेदनशीलता एक प्रमुख मानदंड था, फिर भी जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील क्षेत्रों के बजाय

कम या मध्यम प्राथमिकता वाले परिदृश्यों का चयन किया गया, जो यह दर्शाता है कि संवेदनशील क्षेत्रों को प्राथमिकता नहीं दी गई।

वित्तीय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण चुनौती बना रहा, क्योंकि नमूना लिए गए 68 ए.पी.ओ. में से केवल छह ही वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले मंत्रालय को प्राप्त हुए और किसी को भी समय पर स्वीकृति नहीं मिली। समन्वय की कमी के कारण प्रस्तावित ₹10,600 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त, योजना के प्रारंभिक चार वर्षों के लिए 12वीं योजना के अंतर्गत आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृत ₹2,000 करोड़ के व्यय तथा राज्यों के हिस्से के लिए 13वें वित्त आयोग अनुदानों से ₹400 करोड़ के बावजूद, कार्यान्वयन के 10 वर्षों (2015-16 से 2024-25) के दौरान केवल ₹1,149.14 करोड़ (47.88 प्रतिशत) ही बजटीय सहायता के रूप में प्राप्त हुए। आंतरिक नियंत्रण भी कमजोर पाए गए, क्योंकि आठ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने वार्षिक लेखे का रखरखाव नहीं किया। जहाँ लेखे तैयार किए गए, वे अक्सर या तो लेखापरीक्षित नहीं थे या सहायक अभिलेखों के साथ असंगतियां दर्शाते थे।

यह तथ्य कि मिशन कार्यान्वयन इन बजटीय सीमाओं से बाधित हुआ, वन आवरण लक्ष्यों की गैर उपलब्धि मे परिलक्षित होता है। 1.4 मिलियन हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले, वन आवरण की गुणवत्ता मे सुधार केवल 0.11384 मिलियन हेक्टेयर (91.87 प्रतिशत की कमी) मे देखा गया। इसी तरह, 1.4 मिलियन हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले, वन आवरण मे वृद्धि केवल 0.03409 मिलियन हेक्टेयर (97.57 प्रतिशत की कमी) मे देखी गयी। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़कर किसी भी राज्य ने 2015–2025 के दौरान कार्बन पृथक्करण का कोई आकलन नहीं किया। साथ ही, आई.सी.एफ.आर.ई. द्वारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थापित फ्लक्स टावरों के रखरखाव और देखरेख के संबंध में दोषपूर्ण योजना के कारण, ₹3.50 करोड़ के व्यय के बावजूद कार्बन पृथक्करण के आकलन के लिए निर्मित अवसंरचना निष्क्रिय पड़ी रही।

निगरानी व्यवस्था अधिकांश निर्धारित स्तरों पर कमजोर पाई गई, जिसमें 14 राज्यों ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सार्वजनिक वेब-लिंक उपलब्ध नहीं कराए। लेखापरीक्षा के आकलन में बढ़ाकर प्रस्तुत किए गए आंकड़े सामने आए, जहाँ अप्रमाणित के.एम.एल. फाइलों के कारण उपलब्धियों को वास्तविकता से अधिक दर्शाया गया था। साथ ही, जी.आई.एस. विश्लेषण से यह भी पता चला कि 70 प्रतिशत नमूना स्थलों पर हरित भारत मिशन के कारण कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ।

BSC/R/TT/IK/64-26